संख्या-7/2022/167/86-2022-03(बजट)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म,

उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 17 फरवरी, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या- 4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक-"4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था" के मानक मद "25-लघु निर्माण कार्य" में पुनर्विनियोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2524/ए-4/2021 दिनांक 07.01.2022 का कृपया संदर्भ गृहण करें। संदर्भित पत्र द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु होने वाले व्यय वहन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त मुख्य लेखाशीर्षक "4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था" के मानक मद "25-लघु निर्माण कार्य" के अन्तर्गत रु0 99.55 लाख(रु0 निन्यानबे लाख पचपन हजार मात्र) का पुनर्विनियोजन प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) में उल्लिखित इसी मुख्य लेखाशीर्षक के मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य'' में संभावित बचत की धनराशि रु0 99.55 लाख(रु0 निन्यानबे लाख पचपन हजार मात्र) से करते हुये स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 07.01.2022 में वर्णित स्थिति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य लेखाशीर्षक-"4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था'' के मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य'' से संक्रमित कर इसी मुख्य लेखाशीर्षक- के मानक मद "25-लघु निर्माण कार्य" में धनराशि रू0 95.00 लाख (रूपये पन्चानबे लाख मात्र) का संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुये, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा, स्वीकृति प्रदान करते हैं-

shasanadesh.up.nic.in

1. उपर्युक्त बचत धनराशि की उपलब्धता निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में इंगित प्रयोजन हेतु कर लिया जायेगा।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रश्नगत धनराशि के उपयोग हेतु कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यादेश से वर्तमान में प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

3. यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 सं0-331/ई-6/दस-2021 दिनांक 01.02.2022 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-पुनर्विनियोग प्रपत्र(फार्म बी0एम0-9)।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः 167(1)/86-2022, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग
फार्म बी0एम0–9 (भाग–1)
शासनादेश संख्या–167/86–22–03(बजट)/2020, दिनांक 17 फरवरी, 2022 का संलग्नक
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम– 04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

वित्तीय वर्ष 2021–22 (धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष(15डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"4853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय–01–खनिज अन्वेषण तथा विकास–					
800– अन्य व्यय– 04–खनन विकास की योजनायें –0401–एकमुश्त व्यवस्था"					
24–वृहत निर्माण कार्य	100.00	100.00	99.55	95.00	5.00
योग 4853(04)	**100.00**	**100.00**	**99.55**	95.00	5.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष(15डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि(9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
"4853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय–01–खनिज अन्वेषण तथा विकास–					
800– अन्य व्यय– 04–खनन विकास की योजनायें –0401–एकमुश्त व्यवस्था"					
25–लघु निर्माण कार्य	5.00	100.00	99.55	95.00	100.00
योग 4853(04)	**5.00**	**100.00**	**99.55**	**95.00**	**100.00**

Scanned with CamScanner

1.स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नलिखित है।
''04–खनन विकास की योजनायें –0401–एकमुश्त व्यवस्था'' के मानक मद ''24–वृहत निर्माण कार्य'' में वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रस्तावित कार्य उक्त मानक मद से सम्बन्धित न होने के फलस्वरुप बचत संभावित है।
2.स्तम्भ –8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित प्रत्याशित व्यय के कारण निम्नांकित हैं।
''04–खनन विकास की योजनायें –0401–एकमुश्त व्यवस्था'' के ''25–लघु निर्माण कार्य '' के मद में विभिन्न कार्यों हेतु व्यय– भार संभावित है। अतः इस मद में अतिरिक्त प्राविधान कराये जाने की नितान्त आवश्यकता होगी।
3.प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः–आर0ई0–331/ई–6/दस–2021 दिनांक, 01.02.2022
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

(पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या– 167/86–22–02(बजट)/2020, दिनांक 17 फरवरी, 2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6
6. वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

Scanned with CamScanner